संख्या-8/2024/I/685635/2024/001-77-4099-236/2024

प्रेषक,

जयवीर सिंह,
संयुक्त सिचव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीसीडा, लखनपुर,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 05-07-2024

विषय:-मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण/नये औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्र संख्या 555/यूपीडा 19/ 1772 vol-III(भू-अर्जन), दिनांक 29.04.2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किए जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 02.08.2023 के प्रस्तर 2.2 (I) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित रू0 5000 करोड़ के सापेक्ष रूपये 2500 करोड़ ब्याजमुक्त ऋण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक 6875-अन्य उद्योगों के लिए कर्ज-60-अन्य उद्योग-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03-मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण/नये औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना-30 निवेश ऋण" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 500000.00 लाख में से रूपये 250000.00 लाख (रुपये पच्चीस सौ करोड़ मात्र) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के निर्वतन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 2 के शासनादेश दिनांक 07.12.2023 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उपरोक्तानुसार प्राविधानित धनराशि यूपीसीडा के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेश (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय किये जाने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाय, तो सन्दर्भित व्यय के लिये आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्ष का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाय।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(5) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(6) निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का आहरण कर बैंक खातो में नहीं रखा जायेगा।

(7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए सम्बोन्धित प्राधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी सम्ब न्धित प्राधिकरण अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(9) सम्बन्धित प्राधिकरण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 शासनादेश संख्या-2/2017/बी-3-1034/दस/2017-100(4)/2002 ब0मै0 दिनांक 21.11.2017 के प्रावधान तथा आवश्यकतानुसार बजट मैनुअल के पैरा- 94 के तहत सक्षम स्तर का अनुमोदन अपने स्तर से प्राप्त कर लेंगे।

(10) सम्बकन्धित प्राधिकरण प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करेंगे।

(11) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्धर कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,00,00,00,000 (रुपये पच्चीस अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 6875601900300 मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण/नये औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-42-X-2024-25, दिनांक 03.07.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जयवीर सिंह),
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
6. संबंधित कोषाधिकारी।
7. संबंधित वित्त नियंत्रक।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जयवीर सिंह),
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।